



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 424]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 28 जुलाई 2018—श्रावण 6, शक 1940

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2018

अधि. क्र. 22-एफ-1-13-2016-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, नगरपालिक निगम, रीवा में वर्तमान परिषद् के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो तक के लिए उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को पार्षद के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है:—

स. क्र.	जिले के नाम क्र.	क्र. नगरपालिक निगम का नाम	क्र. (4)	क्र. (5)	नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता (6)
(1)	(2)	(3)			
1	रीवा	1	नगरपालिक निगम, रीवा	1.	श्रीमती शशिसिंह परमार पति श्री बीएस परमार, वार्ड नं. 11, इंदिरा नगर, रीवा.
				2.	श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला पिता श्री रामलखन शुक्ला, वार्ड नं. 4, थाना चोरहटा, जिला रीवा.
				3.	श्री प्रबोध व्यास पिता स्व. श्री जयगोपाल व्यास, वार्ड नं. 34, उपरहटी किला के पास, रीवा थाना, सिटी कोतवाली.
				4.	श्री हासननंद गोपलानी पिता श्री भगतराम गोपलानी वार्ड नं. 7, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, रीवा थाना विश्वविद्यालय.
				5.	श्री वीरेश पाण्डेय पिता श्री रामगोपाल पाण्डेय, वार्ड नं. 40, वासिनपुर्वा भेरवमार्ग, रीवा थाना सिटी कोतवाली

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.